सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिलासपुर जिले के अनुसूचित जाति के लोगों का योगदान

श्रीमती सीमा पाण्डेय
सहायक प्राध्यापक
इतिहास विभाग
विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग,
गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

1857 की क्रांति एक युगबोधक घटना थी। जिसके परिणाम स्वरूप भारत के मध्य युग में प्रवेश किया। विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक कारणों से यह विद्रोह प्रेरित था। 1856 में सोना खान में वीर नारायण सिंह ने स्वतंत्रता आंदोलन की शुरूआत की थी, जो उस सयम बिलासपुर जिले के अंतर्गत था। छत्तीसगढ़ में 1857 के विद्रोह के प्रभाव से होने वाले कुछ एक प्रयासों को दबा दिया गया।

बिलासपुर जिले में बेरिस्टर छेदीलाल, ई. राघवेन्द्र राव, त्रयंबक राव देहनकर और कुंज बिहारी अग्निहोत्री राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख प्रेरणा रहें असहयोग आंदोलन में भी बिलासपुर, के अमरनाथ, गेंदराव एवं चमरू आदि युवक गिरफ्तार किये गये और उन पर जुर्माना भी लगाया गया।

सविनय अवज्ञा आंदोलन दो चरणों में सम्पन्न हुआ प्रथम चरण मार्च, 1930 से मार्च 1931 तथा द्वितीय 1932 से 1934 तक। समस्त भारत के समान छत्तीसगढ़ का बिलासपुर अंचल भी इस आदोलन से अछूता न रहा। लाहौर कांग्रेस (31 दिसम्बर 1929) के बाद तथा पूर्व स्वराज्य लक्ष्य की घोषणा करने के बाद घटना चक्र तेजी से घूमने लगा यह निर्णय लिया गया कि संपूर्ण भारत की तरह बिलासपुर में भी 6 अप्रैल, 1930 तक उत्साहपूर्वक पूर्ण स्वराज्य सप्ताह मनाया जाये।[1] नगर पालिका समिति ने 27 जनवरी, 1930 को यह प्रस्ताव (जो डा. शिव दुलारे मिश्र ने रखा था) पारित किया कि इस समारोह के अवसर पर नगर पालिक भवन पर कौमी झंडा (तिरंगा झंडा) फहराया जाये।[2] आंदोलन की सक्रियता में नगर पालिक समिति के सदस्य भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने 17 अगस्त, 1930 को डॉ. शिव दुलारे द्वारा झंडा फहराने के प्रस्ताव को पारित कर यह निर्णय लिया कि उसी दिन झंडा फहराया जाये। भारी जन समूह के बीच झंडा फहराया गया जिसका पुलिस ने कड़ा विरोध किया।[3] इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार हर वर्ग में

होने लगा था। गांधी जी ने जब इस आंदोलन के तहत अपनी प्रसिद्ध डांडी यात्रा करके नमक कानून तोड़ा तब बिलासपुर जिले की मुंगेली तहसील में भी नमक कानून तोड़ा गया। यहां पं. कालीचरण शुक्ला एवं राम गोपाल तिवारी ने फोकटपारा में नाले के पानी एवं मिट्टी द्वारा बाजार में नमक बना कर नमक कानून तोड़ा एवं बाजार में इस उपस्थित जनता के समक्ष नीलाम भी किया गया जिसे गंगाधर राव दीक्षित ने 50 रूपये में खरीदा।[4]

मुंगेली तहसील के सतनामियों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन ने सहयोग दिया। वे विदेशी शराब की दुकानों, विदेशी कपड़ों की दुकानों में धरना दिया और नारे लगाते थे। इस आंदोलन के अंतर्गत 32 सतनामियों को दंड दिया गया जिसमें मानिक राम, मेधवा गोपी मुंगेलिहा, विदेशीराम, दादू सदाशिव और सखवा प्रमुख थे। मुंगेली तहसील में राष्ट्रीय जागरण का श्रेय पं. रामगोपाल तिवारी, देवदत्त भट्ट, कन्हैया लाल स्वर्णकार, गनपत लाल वैश्य और गंगाधर साव को जाता है। इस तहसील में राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात नमक कानून की चुनौती से होता है। इस हेतु श्री देवदत्त भट्ट पहले सत्याग्रही थे। जिनका मनोननयन गांधी जी ने किया था।

मुंगेली के आंदोलन के दिनों में सत्याग्रहियों ने विदेशी शराब की दुकान के सामने एक झोपड़ी बना ली थी जहां से धरना देने और नारे लगाने के कार्यक्रमों का आसानी से संचालन होता था। उस अपराध में गजाधर साव, बलदेव सतनामी, नंदू विदेश, याकूब अली, मानिक लाल, मेधवा गोपी व झुमुक लाल आदि को सजा हुई।[5]

मार्च 1931 के गांधी इश्विन पैक्ट के परिणाम स्वरूप सविनय अवज्ञा आंदोनल देश के साथ–साथ बिलासपुर में भी खत्म हो गया। परन्तु शीघ्र ही इसका द्वितीय चरण गांधी जी के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस लौट कर गिरफ्तार होने से आरंभ हुआ। किन्तु इस समय सरकार सभी दंडात्मक कदम उठाने के लिये तैयार थी। बिलासपुर जिले में भी गैर कानूनी इन्सटीटशेशन ओर्डिनेन्स (क्रमांक तीन सन् 1932) लागू किया गया था।6

द्वितीय चरण में भी जिले में आंदोलन अबाध रूप से चलता रहा और 18 मार्च, 1933 तक गिरफ्तार किये गये लोगों की संख्या 78 हो गई।[7] 1932 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हरिजनों को हिन्दुओं से पृथक मानने के फलस्वरूप बिलासपुर में भी पुनः आंदोलन भड़क उठा। इस बार प्रशासन ने आंदोलनकारियों के प्रति विशेष कठोरता की

नीति अपनाई गई। अनुसूचित जाति–जन जाति के भी अनेक आंदोलन कारियों को कठोर सजाएं दी गई। (सूत्री संलग्न है) इसके बाद वन सत्याग्रह हुआ। विदेशी बाल का बहिष्कार किया गया और शराब की दुकानों पर धरना दिया गया।[8]

बिलासपुर जिले के उत्तर दिशा में कटघोरा तहसील में सघन वन है तथा यहां आदिवासियों का बाहुल्य है इस अंचल में बाधाखान जमीदारी के जंगल निस्तारी एवं उपयोग के लिय जमींदारी के आदिवासियों द्वारा जंगल सत्याग्रह किया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व श्री मनोहर लाल शुक्ला ने किया जिसमें प्रमुख रूप से हेम सिंह, लुगड़ी और इतवार सिंह गौड़ ने अपना सक्रिय सहयोग दिया था। इस जंगल सत्याग्रह के परिणामस्वरूप विवश होकर बाधाखार के जमीदार को आदिवासियों को जंगल निस्तारी का हक देना पड़ा था।

बिलासपुर जिले के पेन्ड्रा अमरकंटक रोड़ पर स्थित पथरिया जंगल परिक्षेत्र में भी वहां के आदिवासियों द्वारा जंगल सत्याग्रह किये जाने का उल्लेख कुछ स्थानों पर मिलता है। इस प्रकार बिलासपुर में गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रमों को अभिनव सफलता मिली दूसरी ओर शासन द्वारा कठोर कदम भी उठाये गये। सन् 1930 के जंगल सत्याग्रह में वनवासियों, निहत्थे ग्रामीणों एवं अन्य सत्याग्रहियों को भयभीत करने निमित कोडे लगाये जाने का दंड दिया जाने लगा। मई 1930 दिसम्बर 1930 तक लगभग 164 लोगों को दारूण यातनाएं दी गई परन्तु सत्याग्रहियों ने आंदोलन के प्रवाह को उसी प्रकार अपने साहस व उत्साह से बनाये रखा।[9]

और इस प्रकार उस आंदोलन में जिले के अनु. जाति जन जातियों के लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। बिलासपुर के ठा. छेदीलाल व मुंगेली के गजाधर साव ने प्रारंभ में ही इन वर्गों को आगे आने की प्रेरणा दी थी। जिले कि आंदोलानों एवं कराची अधिवेशन में सतनामियों की उपस्थिति इसका प्रयास थी।[10] और बिलासपुर के इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बिलासपुर के साथ–साथ छत्तीसगढ़ अंचल का भी नाम देश भर में उजागर किया।

सविनय अवज्ञा आंदोलन

नाम	स्थान	जेल	रिहाई	सजा
श्री मुधेलिया	मुंगेली	21.01.32	04.02.32	20/दंड वर्ना 15 दिन का कठोर कारावास
श्री सखाराम (सुखऊ)	मुंगेली	21.01.32	04.02.32	30/अर्थ दंड वर्ना 15 दिन का कठोर कारावास
श्री मेधा	मुंगेली	23.01.32	04.02.32	4 माह कारावास, 25/अर्थ दंड 20 दिन का कठोर कारावास
श्री सदाशिव आ. छोड़ी	मुंगेली	23.01.32		6 माह का कारावास एवं 30/अर्थ दंड वर्ना 1 माह का करावास
श्री गोपी आ. रानी	मुंगेली	23.01.32	04.02.32	4 माह कठोर कारावास एवं 25/ का अर्थ दंड
श्री घासीराम आ. सहदेव	खोदरी	12.02.32	13.02.32	को अमरावती जेल स्थानांतरित 25/अर्थदंड वर्ना 15 दिन कठोर कारावास
श्री मानक आ. धनुराम		23.01.32	04.02.32	को अमरावती जेल स्थानांतरित 4 माह कठोर करावा एवं 25/अर्थ दंड
श्री रगदी आ. इतवारी	नि कटघोरा	31.06.32	04.07.32	10/अर्थ दंड वर्ना 20 दिन का कारावास

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. बिलासपुर जिला गजेटियर पृ. 80 , 1909
2. प्रोसिडिंग्स आफ बिलासपुर म्यूनिसपल कमेटी दिनांक 27 जनवरी 1930
3. प्रोसिडंग्स आफ बिलासपुर म्यूनिसपल कमेटी दिनांक 27 अगस्त 1930
4. राम गोपाल तिवारी – छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में स्वतंत्रता आदोलन (1857–1947) पृ. 137
5. लाखे जी की रिपोर्ट – भाग–1 पृ. 4
6. नोट आन दि सिविल डिस ओबिडिएंड मूवमेंट इन सी.पी. एंड बरार। 31 दिसबर 1930 पृ. 28
7. नोट आन दि सेकंड डिस ओबिडएन्स मूवमेंट इन सी.पी. एंड बार 1932–33 पृ. 2 तथा परिशिष्ट।
8. नोट आन दि सिविल डिस ओबिडिएंड मूवमेंट सी.पी. बरार, 31 दिसम्बर 1930 पृ. 21 व 28
9. राजेश अग्निहोत्री – छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन, पृ. 68
10. अ. ब्रज भूषा आदर्श – छत्तीसगढ़ की विभूतियां एवं लौकिक प्रसून। पृ. 30

सूची– स्मारिका जिला जेल बिलासपुर 14.11.20192